

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेंट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 26/2020 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री एस.एस. राणावत निवासी बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति.
शास्त्रीनगर भीलवाडा जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 27-7-2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के विरुद्ध दिनांक 29.06.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 45 एफ 907825 राशि 10.00 रु0 के साथ एक आवेदन दिनांक 15.05.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 30.06.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सूचना का अधि./2020/351 दिनांक 14.07.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार —

1. बिन्दु सं. 01 से 03 में चाही गयी सूचना के लिए कुल पृष्ठ संख्या 13 अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा दी गयी।

बिन्दु सं. 04 में चाही गयी सूचना मांग के अनुसार इस कार्यालय में संधारित नही होने से सूचना दिया जाना संभव नही है तथा शेष सूचना कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा से संबंधित होने से कार्यालय के पत्रांक/254-255 दिनांक 29.05.2020 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) में अंतरित किया गया जिसकी सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की गयी।



3. बिन्दु सं. 05 मे चाही गयी सूचना के लिए कुल पृष्ठ संख्या 14 अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी।
4. बिन्दु सं. 06 मे चाही गयी सूचना के लिए कुल पृष्ठ संख्या 01 अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी।
5. बिन्दु सं. 07 मे चाही गयी सूचना के लिए कुल पृष्ठ संख्या 01 अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी तथा शेष सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा से संबंधित होने से कार्यालय के पत्रांक 256-257 दिनांक 29.05.2020 द्वारा आवेदन पत्र धारा 6(3) में अंतरित किया गया, जिसकी सूचना अपीलार्थी को भिजवायी गयी।
6. बिन्दु सं. 08 मे चाही गयी सूचना के लिए कुल पृष्ठ संख्या 02 अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी।
7. बिन्दु सं. 09 में चाही गयी सूचना की विशिष्टियां प्रकट न करने पर सूचना दिया जाना संभव नहीं हैं।
8. बिन्दु सं. 10 व 11 में चाही गयी सूचना इस कार्यालय में संधारित नहीं होने से सूचना अदेय हैं।

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के जवाब के प्रत्युत्तर में परिकथन पेश कर निवेदन किया कि अवशेष सूचनाओं की प्रति यथासम्भव उपलब्ध करावे।

अपील में अंकित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दी जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 17-7-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(~~विनयसिंह राम नकाते~~)
 जिला कलक्टर एवं
 प्रथम अपीलट अधिकारी
 भीलवाड़ा